

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3233]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2019/आश्विन 8, 1941

No. 3233]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2019/ASVINA 8, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2019

सं. 21/2015-2020

विषय: प्याज की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 3547(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिटत यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 7 के क्रम सं. 51 और 52 पर उल्लिखित मद के विवरण हेतु प्याज की निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है।

"निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 7 की क्रम सं. 51 और 52 पर उल्लिखित मद विवरण हेतु प्याज की निर्यात नीति को अगले आदेशों तक मुक्त से निषिद्ध संशोधित किया जाता है।"

इस अधिसूचना का प्रभाव : ऊपर यथा उल्लिखित प्याज की सभी किस्मों के निर्यात को तत्काल प्रभाव से निषिद्ध किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/180/922/एएम-08/ईसी (खंड 4)]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन सचिव

5122 GI/2019 (1)

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2019

No. 21/2015-2020

Subject: Amendment in Export policy of Onions

S.O. 3547(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, as amended, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Central Government hereby makes the following amendment with immediate effect on the export policy of Onions for the item description at Serial Numbers 51 & 52 of Chapter 7 of Schedule 2 of ITC (HS) classification of Export & Import Items.

"Export policy of onion for the item description at Serial Numbers 51 & 52 of Chapter 7 of Schedule 2 of ITC (HS) classification of Export & Import Items is amended from free to prohibited till further orders".

Effect of this Notification: Export of all varieties of onions, as described above, is prohibited with immediate effect.

[F. No. 01/91/180/922/AM08/EC (Vol. 4)]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Secy.